फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 22.06.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा हत्या से सम्बन्धित 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर दिनांक 21.06.2026 पंजीकृत मु0अ0सं0 163/2026 धारा 103(1) बीएनएस में नामजद वांछित रोहित उर्फ भीमा पुत्र महेशचन्द्र निवासी ग्राम चिल्सरी कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को तथा प्रकाश में आये अभियुक्त बालकिशन पुत्र धनपाल निवासी ग्राम ऐरई थाना जसरथपुर जनपद एटा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1- रोहित उर्फ भीमा पुत्र महेशचन्द्र निवासी ग्राम चिल्सरी कोतवाली कायमगंज

2- बालकिशन पुत्र धनपाल निवासी ऐरई थाना जसरथपुर जनपद एटा

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा शिवोज पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम चिल्सरी थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिये गये प्रा0पत्र बाबत प्रार्थी के बडे भाई दीपचन्द्र उर्फ पंखिया पुत्र कर्मवीर को रोहित उर्फ भीमा उपरोक्त द्वारा हत्या कर शव को आम के बाग में पेड़ पर फांसी से लटका देने के सम्बन्ध में कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रोहित उर्फ भीमा उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त रोहित उर्फ भीमा उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि करीब 5- 6 साल पहले मेरा और सुभाष सक्सेना पुत्र मेघनाथ सक्सेना का झगडा मेरे ही गाँव के एक बुजुर्ग व्यक्ति झम्मन राठौर पुत्र मेघनाथ राठौर से हो गया था इस घटना में हुई मारपीट में झम्मन एक इंजन के कुए में हमसे धोखे से गिर गये थे, जिससे उनकी लगभग तीन चार दिन बाद मृत्यु हो गयी थी इस मुकदमा में दीपचन्द्र उर्फ पंखिया पुत्र कर्मवीर निवासी चिल्सरी कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ने मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दी थी इसी कारण मैं दीपचन्द्र उर्फ पंखिया से रंजिश मानता था। अपने साथी बालकिशन के साथ दीपचन्द्र का गला बांधकर कसकर आम के पेड़ से अंगोछा को खींच दिया था पेड़ से अंगोछा को बांध दिया था जिससे दीपचन्द्र अंगोछा पर आधा लटक गया था दीपचन्द्र उर्फ पंखिया को हम लोगो ने उसके मुंह / नाक घूंसो से कई वार किये थे जिससे दीपचन्द्र के नाक तथा मुँह से खून आने लगा था। फिर हम लोग वहाँ से चले आये थे, मैं ममापुर की तरफ चला गया और बालकिशन अपने घर की तरफ चला गया था। साहब मैंने दीपचन्द्र उर्फ पंखिया को मारने की बात ग्राम ममापुर में शराब के नशे में लोगों से कह दी थी। प्रकरण में नामजद अभियुक्त रोहित उर्फ भीमा तथा प्रकाश में आए अभियुक्त बालकिशन को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त रोहित उर्फ भीमा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 334/2020 धारा 304/323/504 भादवि0 कोतवाली कायमगंज

2- मु0अ0सं0 355/2022 धारा 307/323 भादवि0 कोतवाली कायमगंज

3- मु0अ0सं0 163/2026 धारा 103(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज

अभियुक्त बालकिशन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 163/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना कायमगंज

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 विनोद कुमार शुक्ल
02. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार
03. उ0नि0 लालजी यादव
04. का0 आकाश बाजपेई
05. का0 अनूप कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना राजेपुर

दिनांक - 22.06.2026

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/26 धारा 333/74/109/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/26 धारा 333/74/109/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विन्दरपाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. विन्दरपाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 20.06.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी के घर मे घुस कर प्रार्थी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करना तथा वादी के भाई द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की नियत से चाकू से बार करना व भद्दी-भद्दी गालियां देने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 96/26 धारा- 333/74/109/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट बनाम विन्दरपाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ आदि 03 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विन्दरपाल उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त विन्दरपाल द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मेरा विवाद रामखिलावन व उसके भाई से हो गया था। शेष बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त विन्दरपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 -102/18 धारा- 60 आबकारी अधि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 96/26 धारा- 333/74/109/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिंह
02. उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह
03. का0 वंश कुशवाहा

मीडिया सेल फतेहगढ़।